रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3424] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 21, 2019/आश्विन 29, 1941
No. 3424] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2019/ASVINA 29, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3764(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 951(अ.), दिनांक 29 अप्रैल, 2011 और का.आ. 2737 (अ.), दिनांक 25 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिलीगुड़ी के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार के जिलों में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 3764(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 951 (E) dated 29th April, 2011, and S.O. 2737 (E) dated the 25th July, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Calcutta, hereby designates the Court of the Senior Most Additional District & Sessions Judge at Siliguri as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall be within the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar of the State of West Bengal.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3765(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 952 (अ.), दिनांक 29 अप्रैल, 2011 और का.आ. 6395 (अ.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार को छोड़कर) में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 3765(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 952(E) dated 29th April, 2011, and S.O. 6395 (E) dated the 31st December, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such

supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Calcutta, hereby designates the Court of Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of West Bengal (except the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar).

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3766(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 953(अ.), दिनांक 29 अप्रैल, 2011 और का.आ. 1590 (अ.), दिनांक 16 जुलाई, 2012 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2019

S.O. 3766(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 953 (E), dated the 29th April, 2011 and S.O. 1590 (E), dated the 16th July, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Calcutta hereby designates the Court of District & Sessions Judge at Port Blair, as the NIA Special Court for the purpose of the sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.21 22:21:11 +05'30'